न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 01/2023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

वादी

बनाम

श्री तौफिक पुत्र रहीसा , नेकमौहम्मद वगैरा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 28.08.2023

तहसीलदार कामां राजस्थान सरकार की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या 2631/0.40, कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी तौफिक पुत्र रहीसा जाति मेव निवासी टायरा, नेकमौहम्मद पुत्र ईशाक खां जाति मेव निवासी कस्बा कामां मुबारिक खां पुत्र उस्मान जाति मेव निवासी टायरा राजेन्द्रसिंह पुत्र नन्नू जाति लोधी निवासी कामां रिहाना पत्नि हाकिम जाति मेव सा0 टायरा, बिस्साराम पुत्र किशनसिंह जाति गूर्जर सा0 कामां इस बादग्रस्त भूमि पर रिकार्डेड खातेदार कृषक है जो कि उक्त भूमि पर कृषि करते हुए मुझ तहसीलदार को रूप्ये वार्षिक कर संदाय करने का उत्तरदायी है । सिर्फ कृषि करने के लिए अधिकृत है । अकृषि कार्यो के लिए प्रतिवादी द्वारा मुझ भूमिधारी से पूर्वानुमति भूमि रूपान्तरण कराया जाना नितान्त जरूरी है । पटवारी हल्का कस्बा कामां नं0 2 ने मुझ भूमिधारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी तौफिक पुत्र रहीसा जाति मेव निवासी टायरा, नेकमौहम्मद पुत्र ईशाक खां जाति मेव निवासी कस्बा कामां मुबारिक खां पुत्र उस्मान जाति मेव निवासी टायरा राजेन्द्रसिंह पुत्र नन्नू जाति लोधी निवासी कामां रिहाना पत्नि हाकिम जाति मेव सा0 टायरा, बिस्साराम पुत्र किशनसिंह जाति गूर्जर सा0 कामां ने वादग्रस्त भूमि स्थित कस्बा कामां नं 2 आराजी खसरा नम्बर 2631/0.40 है0 में से नगरपालिका कामां के नाम दर्ज हिस्सा 100/6891 को छोडकर बिना भूमिधारी की स्वीकृति आवासीय प्लानिंग करके सडक डालकर निर्माण किया जा रहा है । इससे पूर्व उन्होनें सक्षम अधिकारी से भूमि की किस्म रूपान्तरण भी नहीं कराया है । ना ही स्वीकृति ली है । पटवारी हल्का के तथ्यों को सही पाये जाने पर जांच सत्यापित किया गया ।

अतः आराजी खसरा नम्बर 2631/0.40 है0 में से नगरपालिका कामां के नाम दर्ज हिस्सा 100/6891 को छोडकर सक्षम अधिकारी / बिना भूमिधारी की स्वीकृति आवासीय प्लानिंग करके सडक डालकर निर्माण किया गया क्षेत्र भूमि सिवायचक भूमि घोषित करते हुए भूमि भूमिधारी को कब्जे में लेने तथा कृषक प्रतिवादी पर अधिकतम हर्जाना राशि लगाने के आदेश प्रदान करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । उपस्थित आया तथा जवाब पेश किया । कि गैरसायल आराजी खसरा नम्बर 2631/0.40 है0 में से नगरपालिका कामां के नाम दर्ज हिस्सा 100/6891 को छोडकर बिना पर खातेदार है । पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है कि 25/1317 हिस्सा का नेकमौहम्मद पुत्र ईशाक 100/1008383 हिस्सा का नेकमौहम्मद पुत्र ईशाक 100/6891 हिस्सा की नगरपालिका कामां 100/1317 हिस्सा का राजेन्द्रसिंह पुत्र नन्नू 25/1317 हिस्सा का रिहाना पत्नि हाकिम 1697/6891हिस्सा का विस्साराम पुत्र किशनसिंह रिकार्डेड सह कृषक खातेदार है परन्तु वादी इनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में वादी का दावा कतई मैनटेबिल नहीं है । काबिले ख़ारिज है । मौके पर उक्त रकवा खाली पडा हुआ है । जिसकी मौका ऐ सूरत में हम प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया । हम प्रार्थी के खिलाफ वादी द्वारा यह दावा कतई गलत पेश किया है जो काबिले खारजी है । वादी का दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ सारहीन होने के कारण काबिले खारिज है ।

उपखण्ड अधिकारी